भारत सरकार

विधि और न्या य मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नं सं. 2035

जिसका उत्तर गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

कानूनी सहायता

2035. श्री कमल नाथ :

डॉ. वीरेन्द्र कुमार :

श्रीमती रंजीत रंजन :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

श्री लक्ष्मी नारायण यादव :

श्री चन्द्रकांत खैरे :

श्री एम.के. राघवन :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री आलोक संजर :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीब और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता तंत्र के मानक और दिशा-निर्देश क्या ह ;

(ख) क्या सरकार का समाज के उक्त वर्गों को न्याय प्रदान करने के लिए विधिक निवारण प्रणाली को और मजबूत बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या सरकार का देश में "न्याय का अधिकार" देने वाला कानून लागू करने/लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) सरकार द्वारा देश में कानूनी प्रक्रिया में शामिल अत्यधिक व्यय को ध्यान में रखकर

समय-सीमा के अंदर न्याय/विधिक निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार को कानूनी सहायता/सहायता की पहुंच की कमी के कारण देश की विभिन्न जेलों में बंद व्यक्तियों की भारी संख्या की जानकारी है और यदि हां, तो

तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याहय मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख) : मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए मानक और मार्गदर्शक सिद्धांत पात्रता शर्तें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन दी गई है । मानकों के अनुसार, उनकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत को ध्यान में रखे बिना निम्नलिखित व्यक्ति मुफ्त विधिक सेवाओं के हकदार है :

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है;
- संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्य हार या बेगार का शिकार है;
- स्त्री या बालक है;
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम,1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खण्ड (न) में परिभाषित निःशक्त व्यक्ति है;
- अनर्ह अभाव की दशाओं के अधीन व्यक्ति है, जैसे, बहुविनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औधोगिक संकट का शिकार है; या
- औद्योगिक कर्मकार है; या
- अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम,1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खण्ड (ञ) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम,1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में की अभिरक्षा भी है;
- कोई व्यहक्ति, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है ते एक लाख रुपए (कुछ राज्यों में 5,0000-रु0) से कम और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो 1,25,000-रुपए से कम वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है ।

मुफ्त विधिक सेवाओं के अंतर्गत निम्नलिखित है :

(i) किसी अधिवक्ता की सेवाएं

(ii) किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में संदेय या उपगत सभी सुसंगत प्रभार

(iii) विधिक कार्यवाहियों में किसी विधि व्यवसायी द्वारा किसी विधिक कार्यवाही और अभ्यावेदन के प्रारूपण, तैयार करने, फाइल करने हेतु प्रभार

(iv) विधिक कार्यवाही में निर्णयों, आदेशों की प्रमाणित प्रति / प्रतियां अभिप्राप्त करने और अन्य प्रकीर्ण व्ययों की लागत

(v) विधिक कार्यवाही में पेपर बुक (जिसके अंतर्गत कागज, मुद्रण और दस्तावेजों का अनुवाद है) तैयार करने की लागत और उनके आनुषंगिक व्यय

मुफ्त विधिक सेवाएं न्यायालय-अनुकूल मामलों के लिए और मुकद्दमों-पूर्व अवस्था के मामलों के लिए दी जाती है । विधिक सलाह प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ मामलों को उठाने के लिए भी दी जाती है । परामर्श विधिक सहायता क्रियाविधि के भाग के रूप में भी प्रदान किया जाता है । निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सेवाएं वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) क्रियाविधि की किसी भी पद्धति जैसे कि लोक अदालत, मध्यस्थता सलाह इत्यादि के माध्यम से प्रदान की जाती है । लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् मामले निपटाए जाते है । कोई व्यक्ति लोक अदालत में मुकदमा-पूर्व या लंबित मामलों के निपटारे के लिए जा सकता है । विधिक सेवाओं के अंतर्गत समुदायों और सुदूर क्षेत्रों में विधिक जागरूकता फैलाने और विद्यालयों और महाविद्यालयों में विधिक साक्षरता प्रदान करना है ।

(ग) : न्याय का अधिकार भारत के संविधान में निहित है, अतः कोई पृथक कानून आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(घ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार ने न्या्यपालिका की सहायता हेतु न्या्य प्रणाली में बकाया मामलों के चरणबद्ध समापन और लंबित मामलों हेतु समन्वि त नीति को अंगीकार किया है जिसमें, अन्यद बातों के साथ, न्यायालयों का कम्यू है टरीकरण, न्यातयिक अधिकारियों / न्या याधीशों के पदों की संख्या्ो में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय तथा मानव संसाधन विकास पर बल देने के साथ बेहतर अवसंरचना सम्मिमलित है । इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में शीघ्र और लागत प्रभावी न्याय का उपबंध करने हेतु लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए उपबंध किया गया है।

(ङ) : विधिक सेवाएं प्राधिकरण जिला से ताल्लुक स्तरों तक, सभी स्तरों पर आपराधिक शमनीय अपराधों के लिए लोक अदालत आयोजित करते है । वे कारागार परिसरों में भी लोक अदालतों आयोजित करते है । जनवरी, 2010 से जून, 2015 तक कारागारों में 13009 लोक अदालतें आयोजित की गई है और विचाराधीन कैदियों के 59,812 मामले निपटाए गए हैं । जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरणों ने भी कारागारों में भी विधिक सेवाएं क्लिनिक स्थापित किए है ।

****